प्रेस नोट दिनाँक-01.07.2022

(1). दिनाँक-30.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 01.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गया।

(3). आज दिनाँक 01.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त संदीप सेन पुत्र राजाबाबू निवासी बराहमाफी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह
2. आरक्षी पंकज कुमार
3. आरक्षी राजीव कुमार

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों को 80 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित एवं 14 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). थानाध्य़क्ष सरधुवा श्री प्रवीण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार केवट पुत्र संतोष निवासी बेहरवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

30 लीटर अवैध देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण सिंह
2. आरक्षी वेद प्रकाश
3. ललित सोनी
4. राहुल पुरी

(ii). उ0 नि0 प्रभुनाथ सिंह थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राधेश्याम आदिवासी पुत्र मुन्नालाल नि0 मोजरा मुरका थाना बरगढ जनपद चित्रकूट को 14 अदद अवैध देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री रमेश सिंह थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी मंगल सिंह व आरक्षी रामचन्द्र द्वारा अभियुक्त नितिन कुमार पाण्डेय पुत्र बब्बू प्रसाद निवासी इटवां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री विजयबहादुर थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी इन्दल एळं आरक्षी अदनान द्वारा प्रधान यादव पुत्र बोधीलाल निवासी अहिरनपुर खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

***(v).** उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त आकाश केवट पुत्र मानिकचन्द्र निवासी कोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 134/2022 धारा 457/380 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त (1) कालीचरन पुत्र बच्चालाल (2) नीरज उर्फ झुल्लर पुत्र मोहनलाल निवासीगण शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट (3) अंगद शरण पुत्र रामऔतार (4) मनोज कुमारी पत्नी अंगदशरण निवासीगण सगवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नीरज उर्फ झुल्लर के कब्जे से चोरी किये गये 1760/- रूपये, अभियुक्त कालीचरन के कब्जे से चोरी किये गये 2250/- रूपये, अभियुक्त अंगदशरण के कब्जे से चोरी किये गये 1970/- रूपये व अभियुक्ता मनोज कुमारी के कब्जे से 4250/- रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 134/2022 में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।

बरामदगीः-

चोरी किये गये 10230 रूपये

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी हृदेश कुमार
3. आरक्षी राजू खरवार
4. महिला आरक्षी स्नेहा राजपूत

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी धनेश कुमार मिश्रा द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री शारदा प्रसाद द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रीमती संघमित्रा द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0

131/2014 धारा 452/336/323/504/506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तगण (1) वीरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह (2) बबलू सिंह पुत्र राजकरन सिंह निवासीगण खजुरिया कलां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01-01 वर्ष के कारावास व 4500-4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री भास्कर के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 1. मु0अ0सं0 366/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त सुखलाल उर्फ बेटी पुत्र चुन्ना केवट निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली कर्वी 2. मु0अ0सं0 650/18 धारा 323/504/506 भादिव0 व 3(1)sc/st act के वारण्टी अभियुक्त पप्पू पुत्र बछराज निवासी नई दुनिया कर्वी चित्रकूट 3. मु0अ0सं0 36/11 धारा 323/324/504 ipc के वारण्टी अभियुक्त फूलचंद पुत्र राजाराम निवासी कालूपुर पाही थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट 4. मु0अ0सं0 4036/11 धारा 323/324/504 ipc के वारण्टी अभियुक्त जनार्दन पुत्र केशचंद निवासी कालूपुर पाही कर्वी थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट 5. मु0अ0सं0 650/18 धारा 323/504/506 ipc व 3(1) sc/st act के वारण्टी अभियुक्त बाला प्रसाद यादव पुत्र भोंडा यादव निवासी बरवारा कर्वी चित्रकूट 6. एसटी नं0 183/21वाद संख्या 31/2018 धारा 125 crpc के वारण्टी अभियुक्त राजकरन पुत्र जुगुल किशोर निवासी मनोहरगंज सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). आज दिनांक 01.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेंद्र कुमार राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानाक्षेत्र अंतर्गत जुमा की नमाज अदा करने वाली मस्जिदों एवं शहर के प्रमुख चौराहों व स्थानों पर चित्रकूट पुलिस द्वारा चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया।

इस दौरान कर्वी शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(9). आज दिनांक 01.07.2022 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कस्बा राजापुर स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन, कस्बा मऊ स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन एवं कस्बा मानिकपुर स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया गया।

इस दौरान कस्बा राजापुर स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन में माननीय सांसद बांदा-चित्रकूट श्री आर0 के0 पटेल, माननीय पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, माननीय ब्लाक प्रमुख पहाड़ी श्री सुशील द्विवेदी, माननीय ब्लाक प्रमुख रामनगर श्री गंगाधर मिश्रा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री चंद्र प्रकाश खरे की गरिमामयी उपस्थिति के साथ श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रांत कुमार शुक्ल, श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा,नगर पंचायत अध्यक्ष राजापुर, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी सोनकर, एसडीएम राजापुर श्री श्री प्रमोद कुमार झा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव, प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेंद्र सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप पाल, थाना राजापुर क्षेत्र के ग्रामों के ग्राम प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधि व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इसी क्रम में कस्बा मऊ में स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन के वर्चुअली उद्धाटन के दौरान माननीय विधायक मऊ मानिकपुर श्री अवनीश चंद्र द्विवेदी की गरिमामयी उपस्थिति के साथ अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध, गौतम प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह, थाना मऊ क्षेत्र के ग्राम प्रधान, संभ्रात व्यक्ति एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

इसी क्रम में कस्बा मानिकपुर में स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन के उद्धाटन के दौरान माननीय ब्लॉक प्रमुख मानिकपुर श्री अरविंद मिश्रा की गरिमामयी उपस्थित के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विनोद द्विवेदी , एसडीएम मानिकपुर श्री प्रमेश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री गिरेंद्र सिंह, थाना मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, संभ्रांत व्यक्ति व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

लोकार्पण कार्यक्रमों के दौरान मौके पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों, संभ्रांत व्यक्तियों, आमजनमानस एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों का मुह मीठा कराया गया।

वर्तमान समय में पुलिस लाइन में ही एक मात्र फायर स्टेशन संचालित था जिससे आमजनमानस को फायर सर्विस की मदद मिलने में बिलम्ब हो जाता था। इन फायर स्टेशनों के संचालित हो जाने से जनपद के समस्त ग्रामों में फायर सर्विस की सुविधा अल्प समय में उपलब्ध होगी।